राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या:- 15/2012

लक्ष्मी नारायण पारेता

–अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, मनरेगा, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, सह जिला कार्यक्रम कोर्डिनेटर, झालावाड़।
3. अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, झालावाड़।
4. विकास अधिकारी , सह परियोजना अधिकारी, मनरेगा, पंचायत समिति, मनोहरथाना, जिला झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.1.2012
आदेश की दिनांक : 04.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत**,** तोडरी जगन्नाथ में ग्राम पंचायत समिति मनोहरथाना में ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर मार्च**, 2009** से फरवरी**, 2011** तक कार्यरत था। महात्मा गांधी रोजगार गांरटी योजना के अंतर्गत दिनांक 01.04.2008 से 13.08.2010 तक कराये गए कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से 3**,11,891**.55 रूपये की वसुली किये जाने के आदेश दिनांक 18.11.2010 को पारित किये गए है**,** जो अनुलग्नक**-4** है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही की जा रही है**,** जो अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये की जा रही है।

2. इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है

3. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

4. अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसुली बिना सुनवाई का अवसर दिये किये जाना उचित नहीं माना है।

5. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी इस अपील में यह अभिकथन किया हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी के उपरोक्त अभिकथन का खण्डन प्रत्यर्थी विभाग की ओर से नहीं किया गया है। अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये।

7. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)